11434/10-12-2020

दिनांक 03.12.2020 को अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

दिनांक– 03.12.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की गई। सर्वप्रथम समीक्षात्मक बैठक में दिए गए निदेशों की विवरणी एवं कार्यवाही प्रारूप का पूर्व अनुमोदित करा लिए जाने का निदेश दिया गया। बैठक में समीक्षोपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर आवश्यक निदेश दिए गए।

(i) **दिनांक 27.11.2020 को आयोजित PMU बैठक के आलोक में तैयार किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में** – बैठक में निदेशित किया गया कि DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों को निर्धारित सभी 12 Component के अनुसार अलग–अलग तैयार किया जाए। राज्य डाटा सेन्टर, राज्य, जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर Inter Connectivity, GIS LAB, हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों को दी जाने वाली राशि, राज्य स्तर पर DILRMP CELL, इत्यादि के लिए अलग अलग राशि का आकलन करते हुए स्पष्ट रूप के प्रस्ताव तैयार करने क. साथ–साथ पूर्व में किये गये मानचित्रों के डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया में DILRMP अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रावधानित राशि के विरूद्ध अवशेष राशि की मांग का प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं उप–निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय)

(ii) **वार्षिक बजट** – निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अन्तर्गत होनेवाले हर सम्भावित व्यय के मद का आकेलन किया जाए एवं उस मद पर व्यय होनवाली राशि के अनुसार वार्षिक बजट को तैयार किया जाए। साथ ही यदि किसी मद में प्राप्त आवंटन इस मद के लिए आवश्यक कुल राशि के अनुकूल नहीं है तो शेष राशि की मांग का बजट भी तैयार किया जाए।

(अनुपालन– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(iii) **चकबंदी अभिलेखो का डिजिटाईजेशन** – बैठक में निदेश दिया गया कि चकबंदी प्रक्रिया अंतर्गत वैसे अभिलेख जो प्रचालन में है या आवश्यक है, उनके डिजिटाईजेशन का प्रस्ताव तैयार किया जाए। साथ ही चकबंदी प्रक्रिया में AI (Artificial Intelligence) के प्रयोग का प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन– चकबंदी निदेशालय)

(iv) **Capacity Building** – निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण में संलग्न सभी कर्मियों के प्रशिक्षण एवं उन्नमुखीकरण के लिए पूरे वर्ष का विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाए। प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण के अन्तर्गत पदाधिकारियों को लैपटॉप एवं अन्य तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराने के साथ राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में सभी प्रकार के आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। जिला एवं अंचल स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में भी विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सहायक निदेशक, एवं तकनीकी कोंषाग भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(v) **Modern Record Room** – निदेश दिया गया कि DILRMP योजना के तहत राज्य के जिन अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार के भवन का निर्माण नहीं हो पाया है वहाँ आवश्यकतानुसार किराए पर भवन लिया जाए तथा उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

MRR का सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक SOP (Standard Opera Procedure) तैयार करने के साथ–साथ संचालन के लिए आवश्यक नियमों का प्रस्त आगामी बैठक में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सहायक निदेशक एवं श्री मनोज कुमार झा, उप–सचिव, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(vi) **IEC (Information education and communication)** – निदेशित किया गया कि इस महत्वपूर्ण घटक के अन्तर्गत राज्य जिला अंचल एवं ग्राम स्तर पर जनसहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर किए जाने वाले कार्यो के लिए अलग–अलग स्पष्ट एवं विस्तृत प्रस्ताव तैयार किए जाए। प्रचार–प्रसार के सभी आवश्यक संसाधनों को समावेशित करते हुए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों के संबंध में समाचार पत्रों में समाचार/विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए प्रारूपों को तैयार कर लिया जाए।

(अनुपालन– श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(vii) **हवाई सर्वेक्षण एजेंसी की समीक्षा एवं ETS का क्रय** – विशेष सर्वेक्षण कार्य संलग्न हवाई सर्वेक्षण एजेंसियों की समीक्षा पश्चात् निदेशित किया गया कि जिन एजेंसियों की कार्यप्रणाली में बार–बार निदेश के बावजूद सुधार नहीं हो रहा है उनके स्थान पर दूसरे विकल्प पर शीघ्र विचार कर प्रस्ताव तैयार किया जाए। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि यदि वर्तमान परिस्थिति में किसी हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो वैसी परिस्थिति में निदेशालय स्तर पर किन–किन बिंदुओं पर तैयारी करनी पड़ेगी इसका आकलन कर लिया जाए।

वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण कार्य में ETS की कमी तथा भविष्य में अंचल स्तर पर ETS से नापी करने तथा 550 अमीनों की प्रस्तावित नियूक्ति के आलोक में प्रत्येक अमीन के लिए एक ETS की अनिवार्यता को देखते हुए 550 ETS मशीनों के क्रय का प्रस्ताव उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(viii) **Physical Layer Presentation on map** – बैठक में GIS सलाहकार, श्री चंदन कुमार द्वारा सर्वे ऑफ इंडिया और वन विभाग द्वारा बनाये गए Physical Layer को शेखपुरा अंचल में विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया अन्तर्गत तैयार किए गए ग्राम के मानचित्रों पर प्रदर्शित किया गया। निदेश दिया गया कि वर्तमान सर्वेक्षण प्रक्रिया में "भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर" के अर्न्तगत संधारित आकड़ों से नए S.S मानचित्र पर Physical Layer बनाए जाने की व्यवस्था है या नहीं इसे प्रर्दशित किया जाए।

(अनुपालन– श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(iX) **भू–नक्शा सॉफ्टवेयर** – बैठक में उपस्थित श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 द्वारा बताया गया कि Textual and Spetial Data Integration का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं दाखिल खारिज प्रक्रिया अर्न्तगत प्राप्त डाटा के अनुसार भू–नक्शा सॉफ्टवेयर की सहायता से मानचित्र का अद्यतीकरण किया जा सकता है।

निदेश दिया गया कि दिनांक 09.10.2020 दिसम्बर 2020 को आयोजित राज्य स्तरीय राजस्व संबंधी बैठक में इसका प्रदर्शन किया जाए।

(अनुपालन– श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना)

(X) **विशेष सर्वेक्षण में प्रयुक्त होने वाले पिलर की संरचना एवं दर** – निदेश दिया गया कि विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत लगाए जाने पिलरों को निर्मित एवं स्थापित करने के लिए हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के स्थान पर जिला बन्दोबस्त कार्यालय से करवाने के प्रस्ताव पर विचार करने एवं इस संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)

(Xi) **MARBLE (Map and Record Based Land Entitlement)** – बैठक में निदेशालय स्तर पर तैयार किए गए विभिन्न संभावित परिस्थितियों में निर्णयन के संदर्भ हेतु सुझाव के रूप में MARBLE उपस्थापित किया गया।

निदेश दिया गया कि दिनांक 09 एवं 10 दिसम्बर 2020 को होनेवाली राज्यस्तरीय राजस्व संबंधी बैठक में MARBLE को पुस्तिका के रूप में तैयार कर विमोचन हेतु उपस्थापित किया जाए।

(अनुपालन – श्री मनोज कुमार झा, उप–सचिव, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

(Xi) **DoLR Status** – निदेश दिया गया कि MIS प्रतिवेदनों के अनुसार प्रत्येक सप्ताह ऑनलाईन प्रदर्शित होने वाले DoLR के Status को अद्यतन किया जाए तथा प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाए।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

ह0 / –
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
बिहार पटना।

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019......11434...... **पटना, दिनांक** :–10-12-2020

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना / उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019......11434...... **पटना, दिनांक** :–10-12-2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप / जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0, श्री राजेश कुमार सिंह, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019........11434........ **पटना, दिनांक** :–10-12-2020

प्रतिलिपिः– अनुदेशक, चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना / श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019........11434........ **पटना, दिनांक** :–10-12-2020

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को निदेशालय के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–तक0को0 (प्रशिक्षण)–249 / 2019........11434........ **पटना, दिनांक** :–10-12-2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप
9/12/20